उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण अनुभाग–3
संख्या–893/26–03–08–4(41)/2006
लखनऊ : दिनांक 09 जून, 2008

कार्यालय ज्ञाप

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम–2006 एवं वन नियमावली 2008 के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न स्तरीय समिति समितियॉ (राज्य स्तरीय/जनपद स्तरीय/उपखण्ड स्तरीय एवं ग्राम सभा स्तरीय समिति) एतदद्वारा निम्नवत् गठित की जाती हैः–

1–ग्राम सभा समिति

(1) ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभाओं का संयोजन किया जायेगा और उसके पहले अधिवेशन में वह अपने सदस्यों में से कम से कम 10 किंतु 15 से अनधिक व्यक्तियों को वन अधिकार मिति के सदस्यों के के रूप में निर्वाचित करेगी जिसमें कम से कम एक तिहाई सदस्य अनुसूचित जनजातियों के होगें।

परन्तु ऐसे सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई सदस्य महिलायें होगी। परन्तु यह और कि जहॉ कोई अनुसूचित जनजातियॉ नहीं है वहॉ ऐसे सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई सदस्य महिलायें होगी।

(2) ग्राम सभा के अधिवेशन में गणपूर्ति ऐसी ग्राम सभा के सभी सदस्यों के दो जनजातियों और गैर अनुसूचित जनजातियों की विषम जनसंख्या है वहां अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजातीय समूहों और कृषि पूर्व समुदायें के सदस्यों का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व किया जायेगा।

2–उपखण्ड स्तरीय समिति

उपखण्ड स्तर की समिति निम्नलिखित रूप में गठित होगीः–

(1) उपखण्ड अधिकारी या समतुल्य अधिकारी –अध्यक्ष
(2) उपखण्ड का भार साधक वन अधिकारी/समतुल्य अधिकारी –सदस्य
(3) ब्लाक या तहसील स्तर की पंचायतों के तीन सदस्य जिन्हें जिला पंचायत द्वारा नाम निर्देशित किया जायेगा, जिनमें से कम से कम दो अनुसूचित जनजातियों के होगें, जो अधिमान्तः वन निवासी या आदिम जनजाति समूहों के होगें। जहॉ अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य नहीं है वहॉ दो सदस्य जो अधिमानतः अन्य परम्परागत वन निवासी हों, इनमें कम से कम एक महिला सदस्य होगी।
(4) जनजाति कल्याण विभाग का उपखण्ड का भारसाधक अधिकारी या जहां ऐसा अधिकारी उपलब्ध नहीं है वहां जनजातीय काय्र का भारसाधक अधिकारी।

3–जिला स्तर की समिति

जिला स्तरीय समिति का गठन निम्नवत् हैः–

(1)जिला कलक्टर या उपायुक्त –अध्यक्ष
(2)संबंधित खण्ड वन अधिकारी या संबंधित उप वन संरक्षक –सदस्य
(3)जिला पंचायत द्वारा नाम निर्देशित तीन ऐसे सदस्य जिनमें से कम से कम दो अनुसूचित जनजाति के सदस्य होगें, जो अधिमानतः वन निवासी या आदिम जनजाति समूहों के हैं। जहॉ

कोई अनुसूचित जनजातियॉ नहीं है वहॉ दो सदस्य जो अधिमानतः अन्य परम्परागत वन निवासी हैं और उमें कम से कम एक महिला सदस्य होगी।
(4)जनजाति कल्याण विभाग का जिले का भारसाधक अधिकारी या जहॉ ऐसे अधिकारी उपलब्ध नहीं है वहॉ जनजाति कार्य का भार साधक अधिकारी

4—राज्य स्तर की निगरानी समिति

राज्य स्तरीय समिति का गठन निम्नवत् हैः—

(1) मुख्य सचिव	अध्यक्ष
(2) सचिव, राजस्व विभाग	सदस्य
(3) सचिव, जनजातीय या समाज कल्याण विभाग	सदस्य
(4) सचिव, वन विभाग—	सदस्य
(5) सचिव, पंचायती राज—	सदस्य
(6) प्रधानमुख्य वन संरक्षक—	सदस्य
(7) आयुक्त जनजाति कल्याण या समतुल्य	सदस्य सचिव

(8) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दशित किये जाने वाले तीन अनुसूचित जनजातीय सदस्य।

अविनाश कु0 श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव

संख्या— 893(1)/26—3—2008—4(41)/2006तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से उपरोक्तानुसार अनुपालन हेतु संबंधित को समुचित निर्देश जारी करने का कष्ट करें:—

1. प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व/वन/कृह/ग्राम्य विकास/पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0।
6. संयुक्त सचिव, भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली।
7. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
8. निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम गणेश)
संयुक्त सचिव।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली 2007 के प्राविधानों को उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने की प्रगति समीक्षा माह ....

A. विभिन्न समितियों के गठन की स्थिति

1a. कुल ग्राम सभाओं की संख्या – .... संख्या

1b. वन क्षेत्र से अच्छादित ग्राम सभाओं की संख्या – .... संख्या

3c. कितनी ग्राम सभाओं में वन अधिकार समिति गठित हुई – .... संख्या

2a. कुल तहसीलों की संख्या – .... संख्या

2b. वन क्षेत्र से आच्छादित तहसीलों की संख्या – .... संख्या

2c .कितनी तहसीलों में वन अधिकार समिति गठित हुई – .... संख्या

3. क्या जिला स्तरीय समिति गठित हो गयी? हॉ/नहीं

B. उक्त अधिनियम/तत्सम्बन्धी नियमों का प्रचार–प्रसार – .... संख्या

1a. अधिनियम/तत्सम्बन्धी नियमों की प्रतियों का वितरण – .... संख्या

1b. पैम्पलेट वितरण – .... संख्या

1c. पोस्टर वितरण – .... संख्या

1d. समाचार पत्रों में प्रकाशन – .... संख्या

C. आयोजित संगोष्ठियों का विवरण – .... संख्या

1a. ग्राम सभा स्तर – .... संख्या

1b. उपखण्ड स्तर – .... संख्या

1c. जिला स्तर – .... संख्या

D. अन्य पराम्परागत वन निवासियों के चिन्हीकरण की सूचना

1a. वन विभाग की सूचनानुसार ऐसे परिवारों की संख्या – .... संख्या

1b. जिले स्तर पर ऐसे चिन्हीकृत परिवारों की संख्या – .... संख्या

E. विभिन्न समितियों के सम्मुख प्रस्तुत दावों की स्थिति

1a. वन अधिकार समिति के सम्मुख प्रस्तुत दावें – .... संख्या

1b. ग्राम सभा द्वारा उपखण्ड स्तरीय समिति को प्रेषित किये गये दावें – .... संख्या

1c. ग्राम सभा द्वारा अस्वीकार किये गये दावें – .... संख्या

क्रमशः पृष्ठ 2

Id उप खण्ड स्तरीय समिति द्वारा ग्राम सभा के संकल्पों से व्यथित व्यक्तियों की अर्जियों की सुनवाई/निस्तारण की संख्या –....................संख्या

Ie उप खण्ड स्तरीय समिति द्वारा जिला स्तरीय समिति को अन्तिम विनिश्चय के लिए प्रेषित दावों की संख्या –....................संख्या

If जिला स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत टाईटिल –....................संख्या

Ig वितरित टाईटिल –....................संख्या

F. वन ग्रामों का राजस्व ग्रामों में परिवर्तन –....................संख्या